उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या-65/2017/1057/छप्पन-17-11/2011

लखनऊ:दिनांक: 18 सितम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राजेश कुमार को नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यालय ज्ञाप संख्या-1232/छप्पन-2007-53/99टीसी दिनांक 10.10.2007 द्वारा हेलीकॉप्टर अनुरक्षण अभियन्ता के पद पर संविदा सेवा के आधार पर नियत मासिक पारिश्रमिक रू0 95000/- (रूपये पंचानवे हजार मात्र) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति प्रदान की गयी थी, जिसके अनुपालन में श्री राजेश कुमार द्वारा दिनांक 20.09.2007 को कार्यभार ग्रहण किया गया। तदोपरान्त श्री राजेश कुमार की संविदा अवधि कार्यालय ज्ञाप संख्या-1937/छप्पन-12-11/2011 दिनांक 27 नवम्बर, 2012 द्वारा नियत मासिक पारिश्रमिक रू0 1,50,000/- (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) पर अग्रेत्तर 05 वर्ष अर्थात दिनांक 20 सितम्बर, 2012 से दिनांक 19 सितम्बर, 2017 तक पूर्व शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन बढ़ायी गयी थी, जिसकी अवधि दिनांक 19 सितम्बर, 2017 को समाप्त हो रही है। निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री राजेश कुमार नागरिक उड्डयन निदेशालय के लिए एक उपयोगी अभियन्ता हैं, अतः इनकी उपयोगिता तथा विभाग की विशिष्ट कार्य अपेक्षाओं को देखते हुए इनकी संविदा की अवधि वर्तमान पारिश्रमिक रुपए 1,92,938/- एवं शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2014, दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार 05 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बढ़ाए जाने हेतु यथोचित निर्णय लिया जाए।

2- अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल हेलीकॉप्टर अनुरक्षण अभियन्ता के पद पर श्री राजेश कुमार की संविदा अवधि वर्तमान पारिश्रमिक रुपए 1,92,938/- एवं शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2014, दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार 05 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर पूर्व शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन दिनांक 20 सितम्बर, 2017 से अग्रेतर 01 वर्ष (अर्थात दिनांक 20 सितम्बर, 2017 से 19 सितम्बर, 2018 तक) के लिए बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. श्री राजेश कुमार को उक्त संविदा अवधि में नियत मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही लागू होंगी, जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती हैं और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-दो, भाग-दो के सहायक नियम-157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भांति अवकाश देय होगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- श्री राजेश कुमार से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर उसे शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

श्री राजेश कुमार,
वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता (संविदा सेवा),
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

पृ0 सं0-65/2017/1057(1)/छप्पन-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री राजेश कुमार से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. कार्मिक अनुभाग-1/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डा0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।